GA-9
21.2.14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2014.

Amrendra Kumar Singh. ...Petitioner.

Versus

The State of Bihar & ors. ....Respondents.

Sub:-E.C. Act (Cancellation of P.D.S. Dealer License).

INDEX			
Sl. Nos.	Particulars		Page Nos.
1	SYNOPSIS OF THE CASE		
2	Petition	Application under Article 226 of the Constitution of India along with Affidavit.	1 -9
3	Annexure-1	A photo copy of P.D.S. License No.238/2007.	10-13
4	Annexure-2	A photo copy of nomination paper.	14,15
5	Annexure-3	A photo copy of the letter dated 30.04.2012.	16-17
6	Annexure-4	A photo copy of the reply dated 09.05.2012.	18-19
7	Annexure-5	A photo copy of the order dated 25.05.2012.	20 23
8	Annexure-6	A photo copy of the order dated 21.01.2014.	24-26
10	Vakalatnama		

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2014.

Amrendra Kumar Singh. ......Petitioner.

Versus

The State of Bihar and ors. ......Respondents.

SYNOPSIS

The petitioner by this writ petition prays for setting aside the Order dated 21.01.2014 passed in Public Distribution System License Appeal No.08/2012 by the respondent District Magistrate Madhepura who was pleased to reject the appeal and confirmed the order dated 25.05.2012 passed by respondent Subdivisional Officer-Cum-License Authority, Madhepura, who cancelled License No.238/2007 of the petitioner.

Further any other relief/reliefs as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstance of the case.

RELEVANT DATES AND EVENTS:-

2007:- Petitioner's P.D.S. License No.238/2007.
Annexure-1

:- Nomination paper in the name of petitioner's father.
Annexure-2

30.04.2012:- Letter dated 30.04.2012 of the S.D.O., Madhepura.
Annexure-3

09.05.2012:- Reply dated 09.05.2012 of the petitioner.
Annexure-4

25.05.2012:- Order dated 25.05.2012 of the S.D.O.,
Annexure-5 Madhepura.

21.01.2014:- Order dated 21.01.2014 passed by the District
Annexure-6 Magistrate, Madhepura in Appeal No.08/2012.

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2014.

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of:-

Amrendra Kumar Singh, Son of Sri Deo Narayan Singh, Resident of Village:- Parmanandpur, P.S.:-Kumarkhand, District:- Madhepura.

.......Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar through the Secretary, Food & Supply Department, Govt. of Bihar, Patna.
2. The Secretary, Food & Supply Department, Govt. of Bihar, Patna.
3. The District Magistrate, Madhepura.
4. The District Supply Officer, Madhepura.
5. The Sub-Divisional Officer-cum-Licensing Authority, Madhepura.
6. The Block Supply Officer, Kumarkhand, District-Madhepura.

.......Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M.·Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the above named petitioner.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That the petitioner by this writ petition prays for setting aside the Order dated 21.01.2014 passed in Public Distribution System License Appeal No.08/2012 by the respondent District Magistrate Madhepura who was pleased to reject the appeal and confirmed the order dated 25.05.2012 passed by respondent Subdivisional Officer-Cum-License Authority ,Madhepura. Who cancelled License No.238/2007 of the petitioner. Further any other relief/relief's as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstance of the case.

2. That the aforesaid relief/s sought for on the following <u>G R O U N DS</u>:-

(i) Whether any complaint/objection by the local consumers was made against the petitioner on which cancellation of his License No.238/2007 has been done by the respondent License Authority is sustainable either on facts or in law?

(ii) Whether the licensing authority has considered the explanation/show cause of the petitioner under the mandate of law ?

(iii) Whether the order of cancellation of respondent S.D.O. is not arbitrary/erroneous on without considering/perusing the materials ?

(iv) Whether the respondent license authority has not applied his excessive right and not considered reply of the petitioner on 4 (four) points for cancellation of license ?

(v) Whether the license authority has given the sufficient opportunity to hear him ?

(vi) Whether the petitioner has violated any order/provision of Bihar Control Order ?

(vii) Whether the petitioner has committed error/violated the provision of Control Order to authorize his father Deo Narayan Singh in Business?

(viii) Whether it is necessary to maintain on display board of each minute/hours ?

(ix) Whether the license authority has not failed to consider all explanations of 4 (four) grounds made by the petitioner ?

(x) Whether the statement of witnesses on affidavit (1) Meera Devi w/o Yogendra Roy (2) Jugli Devi w/o Jagdish Roy and (3) Mahadeo Singh S/o Bangali Singh are not reliable who remained physically present there ?

(xi) Whether the authority is proper without measurement or any weight of commodities and only guess work was done and irregularity was also made ?

(xii) Whether the collecting coupons from the BPL family from February, March and April of 2012 and on which basis food commodities supplied to them are irregularities ?

(xiii) Whether the respondent authority has no obligatory duty to hear authorized agent (father of the petitioner) under law prior to the said proceeding ?

(xiv) Whether the respondent authorities found any proof of black-marketing of the said commodities ?

(xv) Whether the petitioner has not submitted copies of stock register, distribution register and coupons of beneficiaries and consumers ?

3. That the petitioner is citizen of India and having jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the petitioner is license holder bearing License No.238/2007 and dealer of fair price shop under Public Distribution System under Panchayat Parmanandpur Block, KumarKhand (Madhepura). The petitioner since the date of his license, was making the proper distribution among the consumers and no complaint/objection was made till date.

A photo copy of P.D.S License No.238/2007 is annexed

herewith and marked as Annexure-1 to this petition.

5. That as per provision contained in license, his father Sri Deo Narayan Singh has been duly authorized/nominated as a representative on his behalf in this matter.

A photo copy of nomination paper is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this petition.

6. That on 30.04.2012 at 9.22 A.M. The respondent S.D.O., Madhepura made a surprise visit to the business premises of the petitioner and as per him, found irregularities and discrepancies. The petitioner was absent there but his representative Father was there. The S.D.O, Madhepura returned from his business premises and issued a letter vide Memo No.152 dated 30.04.2012 asking and directing him to appear physically before him as well as also directed to file show cause/explanation within three days after receipt of the same failing which his License No.238/2007 will be cancelled.

A photo copy of the letter dated 30.04.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this petition.

7. That the petitioner in pursuant to the letter dated 30.04.2012 submitted his show cause/explanation to the authority on 09.05.2012.

A photo copy of the reply dated 09.05.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this petition.

8. That the S.D.O., Madhepura being dissatisfied with the explanation/show cause of the petitioner, has cancelled his P.D.S License No.238/2007 and made alternative ~~argument~~ arrangement on 25.05.2012.

A photo copy of the order dated 25.05.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this petition.

9. That the petitioner being dissatissed with the order dated 25.05.2012, preferred an appeal bearing Appeal No.08/2012 before the respondent-District Magistrate, Madhepura but the same was rejected without proper consideration and non application of judicial mind on 21.01.2014.

A photo copy of the order dated 21.01.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this petition.

10. That the respondents authorities have not considered the show cause/explanation of the petitioner and rejected his license by the S.D.O., Madhepura and the District Magistrate, Madhepura also not interfered with the order.

11. That it is relevant to mention here with that no objection/complaint of any consumer then no occasion to surprise visit to his business premises.

12. That petitioner and his authorized father have properly distributed the commodities like K. Oil and food grains among the consumers.

13. That the S.D.O., Madhepura has cancelled his License No.238/2007 on vague allegation and the same was confirmed by the District Magistrate, Madhepura.

14. That the father of the petitioner has fully explained the matter and also the witnesses on affidavit but the respondent authorities have not considered.

15. That there are no latches on the part of the petitioner/his father either to violate any rule or provision under law.

16. That the order of either the S.D.O., Madhepura or the District Magistrate, Madhepura are otherwise illegal, arbitrary, unlawful and unreasonable and is fit to be set aside.

17. That the petitioner has no other alternative and efficacious remedy save and except to file the present writ application before this Hon'ble Court.

18. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court earlier for the relief sought for in this writ application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this writ application, issue Rule NISI, calling upon the respondents to show cause as to why an appropriate writ be not issued in granting the Reliefs as mentioned in paragraph no.1 of this writ application and in absence of an appropriate reply by the respondents the said Rule be made absolute and allow this writ application.

And/or

Be pleased to pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Deo Narayan Singh, aged about 77 years, Son of Late Ram Tahal Singh, Resident of Village:-Parmanandpur, P.S.:-Kumarkhand, District:-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am father of the petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over by me which I have fully understood the same.
3. That the statements made in paragraph nos. 1. 3 10 12 to 18. are true to my knowledge and those statements made in paragraph nos. 4 to 9 11, 12 are based on information derived from the records and the rest are by way of submission before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are photo/typed copies of their respective originals/certified copies.

Annexure – I

(16)

प्रपत्र–II

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अन्तर्गत

उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञा-पत्र

अनुज्ञप्ति संख्या ..... [illegible]

[illegible]

[illegible] ..... [illegible]

जिला/प्रांत का नाम ..... [illegible]

पता ..... [illegible]

कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अधीन श्री ..... [illegible] को जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय और वितरण को नियमित करने के लिये आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निम्नलिखित स्थान पर करने हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

<u>मंडारण स्थान का विवरण</u> :–

(क) खाता ..... 329 ..... खेसरा ..... 1109 ..... [illegible]

(ख) दुकान का क्षेत्रफल ..... [illegible]

(ग) दुकान का विवरण ..... [illegible]

(घ) पता ..... [illegible]

(ङ) दुकान की चौहद्दी ..... [illegible]

(च) दुकान किराये पर है तो दुकान मालिक का नाम एवं पता ..... [illegible]

आवश्यक वस्तुओं का विवरण :–

(क) खाद्यान्न

(ख) खाद्य तेल

(ग) किरासन तेल

(घ) चीनी

(ङ) कपड़ा

(च) अन्य वस्तुऐं

2. (क) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में भंडार और बिक्री पंजी संधारित करेगा। क्रमांक–2 में वर्णित आवश्यक वस्तु की मात्रा पंजियों में निम्न प्रकार प्रविष्टि करेगा।

(i) खाद्यान्न–क्विंटल या किलो ग्राम में

(ii) खाद्यान्न तेल / किरासन तेल–लीटर में

(ख) अनुज्ञप्तिधारी भंडार पंजी में सभी प्रविष्टियाँ अगले [illegible] पूर्व निश्चित रूप से कर लेगा।

4. **अनुज्ञप्तिधारी राजपत्रित अवकाश / साप्ताहिक बंदी के दिनों [illegible] प्रतिदिन दुकान खोलेगा तथा 'सूचना पट' दुकान के बाहर एवं 'मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट' दुकान के अन्दर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।**

'सूचना पट' परिशिष्ट–1 के अनुसार तथा मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट परिशिष्ट–2 के अनुसार बनायेगा।

5. **अनुज्ञप्तिधारी दुकान के सम्बद्ध बी0पी0एल अन्त्योदय और अन्नपूर्णा लाभान्वितों की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।**

6. **अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं** का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर वितरण करेगा।

7. **अनुज्ञप्तिधारी, आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर सम्बद्ध उपभोक्ताओं को न बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा।**

प्रपत्र-क

खण्ड-4 (1) (क) [illegible]

बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण)

आदेश, 1984

अनुज्ञा-पत्र

(i) अनुज्ञप्ति सं० ...... 26/11 ...... [illegible] /खुदरा

(ii) चालान संख्या ...... दिनांक 25/12/91 ...... [illegible] निक्षिप्त प्रतिभूति

रुपया 250.00 (दो सौ पचास रु०) [illegible]

(iii) व्यापारी का नाम, भागीदारों, यदि कोई हों तो [illegible] श्री [illegible] कुमार सिंह, [illegible]

ग्रा०-परमानन्दपुर, थाना-[illegible], जिला-[illegible]

निबन्धन तथा शर्तें

1 बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा-पत्र एकीकरण) आदेश 1984 के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञप्ति के हम निबन्धों तथा शर्तों के अध्यधीन श्री/श्रीमती श्री [illegible] कुमार सिंह ...... को नीचे वर्णित व्यापारिक वस्तुओं का क्रय, विक्रय हेतु भण्डारण के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है :—

थोक विक्रेता के रुप में	खुदरा विक्रेता के रुप में
(1)	(1) [illegible]
(2)	(2) [illegible]
(3)	(3) [illegible]
(4)	(4) चीनी
(5)	(5) [illegible]

2 (क) अनुज्ञप्तिधारी, पूर्वोक्त व्यापारिक वस्तुओं का कारोबार [illegible] पर करेगा।

...... परमानन्दपुर

(ख) उन व्यापारिक वस्तुओं का जिनका [illegible] कारबार [illegible] भण्डारण [illegible] वर्णित गोदामों से भिन्न किसी स्थान पर नहीं किया जायगा।

1 [illegible]-322, खेसरा-1102, रकबा 0-20 [illegible] 2 [illegible]

3 4 [illegible]

5

टिप्पणी:—यदि अनुज्ञप्तिधारी का आशय व्यापारिक वस्तुओं का भण्डार ऊपर विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न स्थान पर करने का हो तो उसमें उन व्यापारिक वस्तुओं के भण्डारण से 72 घंटे की कालावधि के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित रुप में सूचना देगा। वह ऊपर वर्णित सूचना देने से एक पखवारे के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञप्ति पेश करेगा ताकि उसमें अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके।

3 (क) अनुज्ञप्तिधारी पैरा 1 वर्णित व्यापारिक [illegible] के [illegible] दैनिक लेखों का एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा, जिसमें निम्न तथ्य [illegible] जायेंगे :—

i प्रत्येक दिन का प्रारम्भिक स्टॉक

ii प्रति दिन प्राप्त मात्रा, वह स्थान जहां से और वह स्त्रोत जिससे प्राप्त हुई

iii प्रति दिन परिवर्तन या हटाई गई मात्रा गंतव्य स्थान बताते हुए, तथा

iv प्रत्येक दिन का अन्तिम स्टॉक।

स्पष्टीकरण :— अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं के लिए एकाधिकार स्टॉक रजिस्टर रख सकेगा और प्रत्येक व्यापारिक वस्तु [illegible] पृथक पृष्ठ आवंटित कर सकेगा।

(क) किन्तु आयातित चीनी [illegible] विक्रेता के रुप में आयातित चीनी एवं अनुज्ञप्ति का स्टाक पंजी संधारित करना आवश्यक [illegible]

(ख) अनुज्ञप्तिधारी [illegible] या [illegible] विक्रय के सम्बन्ध में जो [illegible] स्टॉक [illegible] की गई व्यापारिक वस्तुएं [illegible] हों तो स्टाक रजिस्टर में इस [illegible]

(ग) विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं [illegible]

i आयातित चीनी, [illegible]

ii खाद्य तेल— [illegible]

iii [illegible] ...... [illegible] या [illegible]

[illegible] 17/12/91

14

प्रखण्ड - कुमारखण्ड

कार्यालय का नाम अनुमण्डल पदाधिकारी मधेपुरा पहचान पत्र संख्या R.P. 1133

1. महिला/विकलांग एवं अन्य रोगग्रस्त सा0 वि0 प्र0 विक्रेता

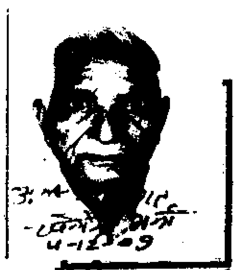

2. अनुज्ञप्ति संख्या 339/07

3. पता ग्राम पं० परमानन्दपुर कुमारखण्ड

4. मनोनित प्रतिनिधि का नाम एवं पता देवनारायण सिंह ग्रा० पं० परमानन्दपुर कुमारखण्ड मधेपुरा

(मुखिया/वार्ड पार्षद द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा)

5. मनोनित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर देवनारायण सिंह

6. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर अमरेन्द्र कुमार सिंह

7. मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण के तिथि तक)..................

5.1.10

आपूर्त्ति निरीक्षक का हस्ताक्षर

पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुज्ञापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रखण्ड - कुमारखण्ड

कार्यालय का नाम अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा पहचान पत्र संख्या- 1033

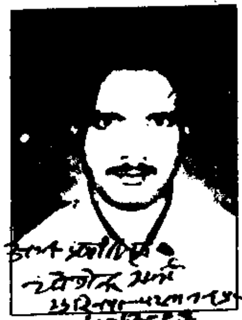

(स्थानीय मुखिया/वार्ड आयुक्त/वार्ड पार्षद द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा।)

1. सा0 वि प्र0 विक्रेता का नाम अमरेन्द्र कुमार सिंह
2. अनुज्ञप्ति संख्या 338/7
3. पता ग्राम + पो० - परमानन्दपुर
   थाना - कुमारखंड जिला - मधेपुरा
4. वार्ड संख्या- (11) इग्यारह
5. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर - अमरेन्द्र कुमार सिंह
6. मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की तिथि तक) -

आपूर्ति निरीक्षक का हस्ताक्षर	पणन पदाधिकारी/ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अनुज्ञापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी [illegible]

अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा

Dmeena 25/11/10

अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

ज्ञापांक.....152...../ दिनांक...30/04/12

16

7.5.12

प्रेषित,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, जन वि० प्र० विक्रेता

पंचायत परमानन्दपुर प्रखंड कुमारखंड

विषय- जाँच के दौरान पाये गये अनियमिततायें के निमित्त स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान एवं वितरण क्षेत्र का औचक निरीक्षण आज दिनांक 30.04.12 को 9:22 बजे पूर्वाहन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया । निरीक्षण के दौरान आपका उक्त दुकान खुला हुआ पाया गया एवं दुकान के बाहर सूचना पट्ट टंगा हुआ पाया गया । निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता निम्नवत है:-

1. आप बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने उक्त दुकान पर अनुपस्थित पाये गयें । दुकान पर उपस्थित आपके पिता- श्री देव नारायण सिंह,जो अनअथोराईज थे,के द्वारा खाद्यान्न वितरण करते हुए पाये गयें । आपके अनुपस्थिति के बारे में उनसे पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई भी जबाब नहीं दिया गया, जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप निरीक्षी पदाधिकारी को देखते ही कहीं अन्यत्र जगह पर छिप गये, जो उचित मूल्य के विक्रेता का कर्त्तव्य एवं दायित्वों तथा अनुज्ञप्ति शर्त्तों का उल्लघंन है ।
2. आपके दुकान पर प्रदर्शित भंडार-सह-मूल्य प्रदर्शन पट्ट संधारित नहीं पाया गया अर्थात उक्त पट्ट पर कुछ भी अंकित किया हुआ नहीं पाया गया, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तों का उल्लघंन है ।
3. आपके दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ता (1) नीरा देवी पति श्री जोगिन्द्र राम,(2) जुगली देवी पति-श्री जगदीश राम एवं (3) श्री महादेव सिंह पिता-बंगाली द्वारा शिकायत किया गया कि बी० पी० एल० योजना का गेहूँ 8 (आठ) किलोग्राम एवं चावल 12 (बारह) किलोग्राम कुल 20 किलोग्राम की आपूर्ति 150 रूपया लेकर आपके द्वारा किया किया जाता है । इसी बीच दुकान पर उपस्थित अन्य उपभोक्ताओं द्वारा यह शिकायत किया गया कि किरासन तेल की आपूर्ति 18.00 रूपये प्रति लीटर की दर पर आपके द्वारा किया जाता हैं । इस उपभोक्ताओं के शिकायत से स्पष्ट है कि बी० पी० एल० योजना का सरकार द्वारा निर्धारित कुल मात्रा से 05(पाँच) किलोग्राम कम खाद्यान्न की आपूर्ति आपके द्वारा किया जाता है एवं दर भी सरकार द्वारा निर्धारित दर से

से अधिक मूल्य पर आपके द्वारा उपभोक्ताओं के बेचा जाता है, जो सरकार के आदेश की अवहेलना एवं अनुज्ञप्ति शर्त्तों का उल्लंघन है ।

(17)

4. आपके दुकान का भंडार भौतिक सत्यापन के क्रम में आपके पिता–श्री देव नारायण सिंह द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि भंडार में गेहूँ 63 बोरा एवं चावल 143 बोरा तथा किरासन तेल 125 लीटर उपलब्ध है । इस प्रकार प्रति बोरा 50 किलोग्राम की औसत आधार पर, गेहूँ 31.50 क्वीं एवं चावल 71.50 क्वीं होता है । दुकान पर आपके पिताजी द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत खाद्यान्न/किरासन तेल का भंडार पंजी के अनुसार आपके भंडार में बी0 पी0 एल0 गेहूँ 100.10 एवं चावल 154.40 क्वीं तथा अन्त्योदय गेहूँ 3.78 क्वीं एवं चावल 3.81 क्वीं दोनों योजनाओं को मिलाकर कुल गेहूँ 103.88 क्वीं एवं चावल 158.21 क्वीं होना चाहिए, जो भंडार में नहीं पाया गया । इस प्रकार प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आपके भंडार में गेहूँ 72.38 क्वीं कम एवं चावल 86.71 क्वीं कम पाया गया, जिसे आपके द्वारा कालाबाजारी में बेच दिया गया है । इसी प्रकार किरासन तेल के भंडार पंजी अनुसार आपके भंडार में 381.75 लीटर किरासन तेल होना चाहिए, जो नहीं पाया गया । जिससे स्पष्ट है कि 381.75 लीटर — 125 लीटर =256.75 लीटर किरासन तेल भंडार में कम है, जिसे काला-बाजारी में आपके द्वारा बेच दिया गया है ।

निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आरोप के संदर्भ में पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर आप अपना स्पष्टीकरण स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करें । उक्त स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और आपकी अनुज्ञप्ति सं0–238/07 को रद्द कर दिया जायेगा ।

अनुमंडल पदाधिकारी,

मधेपुरा

30/04/12

Annexure-4

(18)

सेवा में,

श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

विषय : जाँच के दौरान पाई गई अनियमितता के लिए स्पष्टीकरण समर्पित करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : आपका ज्ञापांक 152 दिनांक 30.04.2012

महाशय,

आदर सहित श्रीमान् के प्रासंगिक पत्र से पूछे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में विन्दुवार मेरा स्पष्टीकरण भवदीय सहानुभूतिपूर्ण आदेशार्थ निम्न प्रकार है :-

1. कि मैं अपने कृषि कार्य से खेत चला गया था । मेरी अनुपस्थिति में मेरे पिता श्री देव ना० सिंह, जो भवदीय द्वारा प्राधिकृत हैं, मेरी जन वितरण प्रणाली की दुकान का संचालन कर रहे थे । दुकान खुली थी और उपभोक्ता वस्तुओं यथा- अनाज एवं किरासन तैल का वितरण चल रहा था ।

2. कि सरकारी निदेशानुसार मैं नियमित रूप से मूल्य सह भंडार प्रदर्शन पटट संधारित करता हूँ । परन्तु दिनांक 30.4.12 को कृषि कार्य पर जाने की हड़बड़ी में सबेरे-सबेरे मैं उसे अद्यतन करना भूल गया और पिताश्री को भी कहना भूल गया । ग्राहकों के आने पर पिताश्री ने दुकान खोल कर बिक्री तो प्रारंभ कर दिया पर उन्होंने भंडार सह मूल्य प्रदर्शन पटट पर ध्यान नहीं दिया । इसी वजह से वह अद्यतन श्रीमान् को नहीं मिला । इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ ।

3. कि जहाँ तक मेरी दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ता (1) नीरा देवी पति योगेन्द्र राय (2) जुगली देवी पति जगदीश राय (3) श्री महादेव सिंह पिता बंगाली सिंह ने जो यह शिकायत कि उन्हें बी.पी.एल. का गेहूँ मात्र आठ किलो और चावल बारह किलो, कुल मिलाकर बीस किलो ही दिया जाता है तथा कीमत 150/- रूपया लिया जाता है - कि शिकायत करने का है - इस सम्बन्ध में विनय पूर्वक कहना है कि ग्रामीण दलगत राजनीति के चलते कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रीमान् जब कभी वरीय पदाधिकारी आते हैं, मुझे क्षति पहुँचाने की नीयत से झूठा आरोप लगाना स्वभाव बनाये हुए हैं । पूर्व में भी कईवार ऐसा वे कर चुके हैं । श्रीमान् वितरण जन प्रतिनिधियों के समक्ष कूपन पर होता है और उचित मूल्य पर उचित मात्रा में ही होता है । जहाँ तक कीमत की बात है, वह 150/- नहीं बल्कि 154/- रूपये लिया जाता है । वैसे ही किरासन तैल के सम्बन्ध में भी अगर किसी ने यह शिकायत की कि उन्हें 18/- रूपये प्रति लीटर दिया जाता है, वह द्वेषपूर्ण मुझे फँसाने की नीयत से लगाया गया आरोप है । मैं श्रीमान् सभी उपभोक्ताओं को 17/- रूपये प्रति लीटर की दर से ही किरासन तैल देता हूँ और वितरण जन प्रतिनिधियों के समक्ष उनकी उपस्थिति में ही करता हूँ । आपूर्ति कूपन पर निर्धारित मात्रा एवं उचित मूल्य पर की जाती है ।

9/5/12

मेरे विरूद्ध लगाया गया आरोप निराधार एवं झूठा है ।

4. कि श्रीमान् को मेरे पिताश्री ने जो लिखित किया कि मेरे भंडार में गेहूँ 63 बोड़ा और चावल 143 बोड़ा तथा किरासन तेल 125 ली0 है, इस संबंध में विनय पूर्वक कहना है कि मेरी दुकान से उपभोक्ताओं को माह फरवरी, 2012 एवं मार्च, 2012 के अनाज का साथ-साथ वितरण चल रहा था इस वजह से मेरी भंडार पंजी फरवरी और मार्च महीने की खुली हुई थी । उसे नियमयानुसार दैनिक आधार पर भंडार पंजी अद्यतन नहीं किया गया था । सिर्फ बिक्री पंजी के संधारण उपरांत ही बिक्री की जाती थी । उस दिन (30.4.12) को मैं भंडार पंजी अद्यतन करता इसी बीच श्रीमान् का औचक निरीक्षण हो गया । उस समय जो सामान भंडार में उपलब्ध था उसे नोट कर श्रीमान् को दे दिया गया था । चूँकि भंडार पंजी अद्यतन नहीं थी इसी वजह से भंडार पंजी के अनुसार उपलब्ध भंडार में श्रीमान् को भिन्नता मिली । वस्तुतः मेरे भंडार में किसी प्रकार की कमी नहीं थी और न मेरे द्वारा कोई अनाज काला बाजारी में बेचा गया था ।

पंजी अद्यतन नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं लिखे जाने की वजह से ऐसी भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ । लेखा संधारण में भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी । इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ । मेरे भंडार में, भंडार पंजी, बिक्री पंजी संधारण के अनुसार कुल 123 ली0 तेल सही में होना चाहिए और वह पूर्णतः ठीक था ।

सामानों की बिक्री उपरांत मैं फरवरी, 2012, मार्च, 2012 का कूपन जमा कर चुका हूँ । कूपन के अनुसार उपभोक्ताओं को सामानों की आपूर्ति की जा चुकी है ।

अतः प्रार्थना है कि मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार कर मुझे दोषमुक्त करने की कृपा की जाय ।

इसके लिए आभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

9.5.2012 अमरेन्द्र कुमार सिंह

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिक्रेता

परमानंदपुर, कुमारखंड (मधेपुरा)

अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

--:आदेश:--

अनुमंडल पदाधिकारी--सह--अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 30.04.12 को 09:22 बजे पूर्वाह्न में श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत परमानन्दपुर, प्रखंड कुमारखंड की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितता के संदर्भ में इस कार्यालय के ज्ञापांक 152 दिनांक 30.04.12 द्वारा श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिसके आलोक में विक्रेता श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितता एवं उसके विरुद्ध विक्रेता श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का बिन्दुवार विवरण निम्नवत है :--

आरोप सं0--1--बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से दूकान पर अनुपस्थित रहना:--

निरीक्षी पदाधिकारी के औचक निरीक्षण के समय श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता का दूकान खुला हुआ पाया गया। परन्तु विक्रेता अपने दूकान पर बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये एवं दूकान पर विक्रेता के पिता श्री देवनारायण सिंह उपस्थित पाये गये।

आरोप सं0--1-- पर विक्रेता का स्पष्टीकरण :--

विक्रेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि वे अपने कृषि कार्य से खेत चले गये थे। उनके अनुपस्थिति में उनके पिता श्री देवनारायण सिंह द्वारा दूकान का संचालन किया जा रहा था।

निष्कर्ष :

बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में विक्रेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह का स्पष्टीकरण मनगढ़न्त है एवं उनके द्वारा अपने बचाव हेतु बहाना बनाया गया। क्योंकि निरीक्षण के समय विक्रेता के दूकान खुला हुआ था और दूकान पर उपस्थित विक्रेता के पिता श्री देवनारायण सिंह द्वारा अनुदानित खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। उनसे विक्रेता के अनुपस्थिति के संबंध में पुछे जाने पर उनके द्वारा कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। जबकि दूकान पर उपस्थित उपभोक्ता महिला द्वारा बताया गया कि अभी तुरत गाड़ी को देखते हीं विक्रेता दूकान पर से भागे है। जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि विक्रेता श्री सिंह निरीक्षी पदाधिकारी के गाड़ी को देखते हीं कहीं अन्यत्र जगह पर छिप गये थे, जो उचित मूल्य की दूकान के विक्रेता का कर्त्तव्य, उत्तरदयित्वों एवं अनुज्ञप्ति शर्तों का उलंघन है।

आरोप सं0--2--भंडार--सह--मूल्य प्रदर्शन पटट् पर भंडार की स्थिति संबंधी प्रविष्टि दर्ज नही करना :--

निरीक्षी पदाधिकारी के औचक निरीक्षण के समय विक्रेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह के दूकान पर टंगा भंडार--सह--मूल्य प्रदर्शन पटट् पर भंडार की स्थिति संबंधी प्रविष्टि दर्ज किया हुआ नही पाया गया।

आरोप सं0--2-- पर विक्रेता का स्पष्टीकरण

विक्रेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है की दिनांक 30.04.12 को कृषि कार्य पर जाने की हड़बड़ी के कारण उनके द्वारा भंडार--सह--मूल्य प्रदर्शन पटट् को अधतन संधारित नहीं किया जा सका और उनके द्वारा अपने पिताजी को भी इस संबंध में कहना भूल गये।

निष्कर्ष

विक्रेता श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण में यह कहना कि दिनांक 30.04.12 को उनके द्वारा भंडार–सह–मूल्य प्रदर्शन पटट् को अधतन संधारित नही किया गया था यह विश्वसनीय नही है। इस विन्दु पर विक्रेता का स्पष्टीकरण मनगढ़न्त, असंतोषजनक है, क्योकि निरीक्षण की तिथि दिनांक 30.04.12 को उनके दूकान पर लगा भंडार सह–मूल्य प्रदर्शन पटट् पर भंडार संबंधी कुछ भी तथ्य अंकित नही था। जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि विक्रेता श्री सिंह द्वारा जान–बूझकर वरती गयी अनियमितता को छुपाने के नियत से भंडार–सह–मूल्य प्रदर्शन पटट् का संधारण किया ही नही जाता है, जो अनुज्ञप्ति शर्तो का उलंघन है।

आरोप सं0–3–सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देना एवं निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेना :

निरीक्षी पदाधिकारी के औचक निरीक्षण के समय दूकान पर उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया कि उन्हें विक्रेता द्वारा बी0पी0एल0 योजना का गेहूँ 08 (आठ) किलोग्राम एवं चावल 12 (बारह) किलोग्राम कुल 20 (बीस) किलोग्राम की आपूर्ति 150.00 (एक सौ पचास) रूपये लेकर विकेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। साथ ही उपभोक्ता द्वारा यह भी शिकायत किया गया कि किरासन तेल की आपूर्ति उन्हें 18 रूपया प्रति लीटर की दर से विकेता द्वारा आपूर्ति की जाती है।

आरोप सं0–3– पर <u>विक्रेता का स्पष्टीकरण :–</u>

विक्रेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि ग्रामीण दलगत राजनीति के चलते कुछ लोग ऐसे हैं जो निरीक्षी पदाधिकारी के दूकान पर आते ही उन्हें क्षति पहुँचाने के नीयत से झुठा आरोप लगाते हैं, जब कि उनके द्वारा उचित मूल्य एवं दर पर ही खाद्यान्न/किरासन तेल की आपूर्ति कूपन के आधार पर किया जाता है।

निष्कर्ष

विक्रेता श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण इस विन्दु पर असंतोषजनक है, क्योंकि निरीक्षण के समय विकेता के दूकान से सम्बद्ध उपभोक्ता (1) नीरा देवी पति श्री योगेन्द्र राय (2)जुगली देवी पति जगदीश राय एवं (3) श्री महादेव सिंह पिता–श्री बंगाली सिंह द्वारा विकेता के पिता श्री देवनारायण सिंह के समक्ष लिखित रूप से वयान दर्ज कराया गया कि उन्हें बी0पी0एल0 योजना का गेहूँ 08 (आठ) किलोग्राम एवं चावल 12 (बारह) किलोग्राम कुल 20 (बीस) किलोग्राम की आपूर्ति 150.00 (एक सौ पचास) रूपये लेकर विकेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। उक्त उपभोक्ताओं से सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेकर उन्हें निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने एवं किरासन तेल 18 रूपया प्रति लीटर अर्थात निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में पूछे जाने पर दूकान पर उपस्थित विकेता के पिता श्री देवनारायण सिंह द्वारा कोई भी जवाब उक्त उपभोक्ता के समक्ष नहीं दिया गया। जिससे प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि विकेता द्वारा बी0पी0एल0 योजना का खाद्यान्न सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से 05 (पॉच) किलो ग्राम कम खाद्यान्न की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जाती है। साथ ही उपभोक्ता से निर्धारित दर से अधिक मूल्य भी खाद्यान्न/किरासन तेल में लिया जाता है,जो अनुज्ञप्ति शर्तो का उलंघन है।

आरोप सं0–4–भण्डार भौतिक सत्यापन के दौरान भण्डार पंजी के अनुसार भण्डार में पायी गयी भिन्नता:–

निरीक्षी पदाधिकारी के औचक निरीक्षण के समय दूकान पर उपस्थित विकेता के पिता श्री देवनारायण सिंह द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि उनके भण्डार में गेहूँ 63(तिरसठ) बोरा एवं चावल 143(एक सौ तेतालिस) बोरा तथा किरास तेल 125(एक सौ पच्चीस) लीटर उपलब्ध है। इस प्रकार प्रति बोरा 50 किलो ग्राम की औसत आधार पर गेहूँ 31.50 क्वींटल एवं चावल 71.50 क्वींटल होता है। जबकि उनके द्वारा जॉच हेतु प्रस्तुत भण्डार पंजी के अनुसार उनके भण्डार में बी0पी0एल0 गेहूँ 100.10 क्वींटल एवं 154.40 क्वींटल तथा अन्त्योदय गेहूँ 3.78 क्वींटल एवं चावल 3.81 क्वींटल उक्त दोनों

योजनाओं को मिलाकर कुल गेहूँ 103.88 क्वींटल एवं चावल 158.21 क्वींटल तथा किरासन तेल 381.75 लीटर विक्रेता के भण्डार में होना चाहिए, जो भण्डार में नहीं पाया गया।

आरोप सं0 4 पर विक्रेता का स्पष्टीकरण

विक्रेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि उनके पिताजी जो लिखित रूप से दिया है कि उनके भण्डार में गेहूँ 63 बोरा एवं चावल 143 बोरा तथा किरासन तेल 125 लीटर है, इस सम्बन्ध में उनका कहना है कि उनके दूकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को माह फरवरी 2012 एवं मार्च 2012 के अनाज का साथ--साथ वितरण चल रहा था सिर्फ बिक्री पंजी के संधारण उपरांत ही खाद्यान्न की बिक्री की जाती थी। वस्तुतः उनके भण्डार में किसी प्रकार की कमी नहीं थी।

निष्कर्ष :-

विक्रेता श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण इस बिन्दु पर असंतोषजनक एवं तथ्य से परे है क्योंकि विक्रेता द्वारा भण्डार पंजी नियमानुसार दैनिक आधार पर अद्यतन नहीं कर सिर्फ बिक्री पंजी के संधारण उपरांत ही खाद्यान्न की बिक्री किया जाना नियम के प्रतिकूल है। नियमानुसार प्रत्येक दिन दूकान खुलने से पूर्व भण्डार पंजी अद्यतन संधारित करना एवं भण्डार --सह-- मूल्य प्रदर्शन पट् पर भण्डार संबंधी प्रविष्टि दर्ज करना विक्रेता का उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य है, ताकि विक्रेता के भण्डार की स्थिति की जानकारी निरीक्षी पदाधिकारी को हो सके। निरीक्षी पदाधिकारी के औचक निरीक्षण के समय दूकान पर उपस्थित विक्रेता के पिता श्री देवनारायण सिंह द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि उनके भण्डार में गेहूँ 63(तिरसठ) बोरा एवं चावल 143(एक सौ तेतालिस) बोरा तथा किरास तेल 125(एक सौ पच्चीस) लीटर उपलब्ध है। इस प्रकार प्रति बोरा 50 किलो ग्राम की औसत आधार पर गेहूँ 31.50 क्वींटल एवं चावल 71.50 क्वींटल होता है। जबकि उनके द्वारा जॉच हेतु प्रस्तुत भण्डार पंजी के अनुसार उनके भण्डार में बी0पी0एल0 गेहूँ 100.10 क्वींटल एवं 154.40 क्वींटल तथा अन्त्योदय गेहूँ 3.78 क्वींटल एवं चावल 3.81 क्वींटल उक्त दोनों योजनाओं को मिलाकर कुल गेहूँ 103.88 क्वींटल एवं चावल 158.21 क्वींटल तथा किरासन तेल 381.75 लीटर विक्रेता के भण्डार में होना चाहिए, जो उनके भण्डार में नहीं पाया गया। इस प्रकार विक्रेता के भण्डार में गेहूँ 72.38 क्वींटल कम एवं चावल 86.71 क्वींटल कम तथा किरासन तेल 256.75 लीटर कम पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न/किरासन तेल को कालाबाजारी में बेच दिया गया है, जो अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त वर्णित आरोप के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा संतोषजनक जवाव नहीं दिये जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा दूकान में बरती गयी अनियमितता को छुपाने के नियत से जानबूझकर वे निरीक्षी पदाधिकारी को देखकर छिप गए एवं विक्रेता द्वारा जानबूझ कर भण्डार --सह-- मूल्य प्रदर्शन पटट् पर भण्डार सम्बन्धी प्रविष्टि दर्ज नहीं की जाती है तथा भण्डार पंजी को अद्यतन संधारित नहीं किया जाता है। साथ ही बिक्रेता द्वारा बी0पी0एल0 योजनाओं का खाद्यान्न सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से पॉच किलो ग्राम कम अधिक मूल्य लेकर उपभोक्ताओं के बीच आपूर्ति किया जाता है एवं विक्रेता के भण्डार में पाये गये कम खाद्यान्न/किरासन तेल को विक्रेता द्वारा कालाबाजारी में बेच दिया गया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 एवं संशोधित आदेश 2011 तथा अनुज्ञप्ति शर्त एवं विक्रेता का उत्तरदायित्व, कर्तव्य का उल्लंघन है। अतः उपर्युक्त वर्णित आरोप के निमित्त अनुमण्डल पदाधिकारी --सह-- अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा के हैसियत से श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत--परमानंदपुर, प्रखण्ड--कुमारखण्ड की अनुज्ञप्ति संख्या 238/07 को रद्द किया जाता है।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कुमारखण्ड को आदेश दिया जाता है कि वे बिक्रेता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह के दूकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को निकटतम एवं सक्षम सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दूकान से सम्बद्ध कर अपनी देख--रेख/सामने में रद्द बिक्रेता श्री सिंह के दूकान में यदि

खाद्यान्न/किरासन तेल उपलब्ध है तो उन्हें उनके उपभोक्ताओं के बीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के कंडिका–08 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित दर एवं मात्रा में वितरित कराकर प्राप्त राशि रद्द अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

27

ह0/—
अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

ज्ञापांक 168–1/ दिनांक 25/05/12

प्रतिलिपि :– श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत परमानंदपुर, प्रखंड कुमारखंड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुमारखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– सहायक जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम मधेपुरा/सहायक गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम मुरलीगंज/मे0 जय बजरंग एजेंसी, थोक किरासन तेल विक्रेता, कुमारखण्ड/मे0 मोतीलाल रामस्वरूप थोक किरासन तेल विक्रेता, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

Annexure-6

(24)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश
	न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति अपील वाद सं0-08/2012 अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम राज्य -: आदेश :-
21-01-2014	वादी एवं राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक की हाजरी प्राप्त। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने ज0वि0प्र0अनुज्ञप्ति सं0- 238/2007 को अनुज्ञापन पदा0-सह-अनुमंडल पदा0, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 168-1/आ0, दिनांक 25-05-2012 द्वारा रद्द कर दिए जाने से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में Public Distribution System (Control) order-2001 के तहत अपील आवेदन दिनांक 22-06-2012 को दाखिल किया है। दिनांक 25-06-2012 को विधिवत सुनकर अपील आवेदन अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त कर वाद में आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 30-04-2012 को 9:22 बजे पूर्वा0 में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दुकान का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अपीलार्थी पर चार आरोप गठित किये थे:-1. बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से दुकान पर से अनुपस्थित रहना एवं अनाधिकृत व्यक्ति से वितरण करवाना 2. भंडार-सह-मूल्य प्रदर्शन पट्ट पर भंडार की स्थिति संबंधी प्रविष्टि दर्ज नहीं रहना 3. सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देना तथा निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेना 4. भंडार भौतिक सत्यापन के दौरान भंडार पंजी के अनुसार भंडार में खाद्यान्न एवं किरासन तेल कम पाया जाना। उक्त अनियमितता के लिए पत्रांक 152 दिनांक 30-04-2012 के द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का जबाव दिनांक 09-05-2012 को दाखिल किया गया, जिसे असंतोषप्रद एवं भ्रामक बताते हुए अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश को चुनौती दी गई है। प्रथम आरोप के संदर्भ में दलील दी गई कि कृषि कार्य से खेत चले गए थे एवं अपने पिताजी श्री देव नारायण सिंह को खाद्यान्न वितरण करने के लिए दे दिए थे। इनके पिताजी को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा विक्रेता के सहयोग के लिए अधिकृत किया गया है, का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए अनाधिकृत व्यक्ति से वितरण करवाने का आरोप गलत है। उनसे अनुपस्थिति के लिए सक्षम प्राधिकार के पास पूर्व में कोई आवेदन दिया गया था या मौखिक/लिखित अनुमति मिली थी, पूछने पर बताया गया कि इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। द्वितीय आरोप के संदर्भ में बताया गया कि भंडार सह मूल्य प्रदर्शन पट्ट चौक पेंसिल से लिखा हुआ था। लेकिन साफ-साफ दिखाई नहीं पड़ने के कारण उसे सूचना पट्ट संधारित नहीं माना गया, जो गलत है। तीसरा आरोप के संदर्भ में बताया गया कि नीरा देवी पति योगेन्द्र राय ने अपने शपथ पत्र संख्या-2065 दिनांक 08-05-2012, जुगली देवी पति जगदीश राय ने अपने शपथ पत्र संख्या- 2064 दिनांक 08-05-2012 एवं श्री महादेव सिंह पिता बंगाली सिंह ने अपने शपथ पत्र संख्या- 2063 दिनांक 08-05-2012 के द्वारा लिखित बयान दिया है कि जाँच पदाधिकारी द्वारा केवल नाम पता पूछा गया, हमलोगों ने डीलर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की है और उचित कीमत एवं उचित वजन के साथ खाद्यान्न एवं किरासन तेल दिया जाता है। चन्द राजनीति के तहत फंसाया गया है। जब उपभोक्ता को कोई शिकायत ही नहीं है तो अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जबरन रद्द कर दिया गया, जो गलत है। साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। चतुर्थ आरोप के संदर्भ में बताया गया

(26)

के संदर्भ में पूछे जाने पर बताया गया कि माह फरवरी 2012 एवं मार्च 2012 के अनाज के साथ-साथ वितरण चल रहा था, सिर्फ बिकी पंजी के संधारण उपरांत ही खाद्यान्न की बिकी की जाती थी। वस्तुतः उनके भंडार में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। जॉच पदा0 द्वारा दिनांक 30-04-2012 को भौतिक सत्यापन के उपरान्त निम्नरूपेण अन्तर परिलक्षित हुआ है:-

योजना का नाम	30-04-12 को भंडार में वास्तविक उपलब्धता		भौतिक सत्यापन के समय भंडार में उपलब्ध खाद्यान्न		अन्तर	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
बी0पी0एल0/ अन्त्योदय	103.88 क्वीं0	158.21 क्वीं0	31.50 क्वीं0	71.50 क्वीं0	72.38 क्वीं0	86.71 क्वीं0
किरासन तेल	381.75ली0		125 ली0		256.75 ली0	

यह स्पष्ट करता है कि विकेता द्वारा इसे कालाबाजारी में बेच दिया है, जिस कारण अन्तर को दर्शाता है। वितरण यदि किया होता तो तिथिवार भंडार पंजी, वितरण पंजी, में इन्द्राज रहता। साथ ही वितरण से संबंधित भंडार में उपलब्ध सामग्रियों के अलावा कूपन दिखाया जाना चाहिए था, जो नहीं दिखाया गया। यह मान भी लिया जाय कि वितरण के पश्चात् भंडार पंजी को अद्यतन कर लिया जाता है, तो फिर इतनी मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल का अन्तर क्यों हो जायेगा। इससे स्पष्ट होता है कि विकेता द्वारा भंडार पंजी को प्रतिदिन अद्यतन नहीं किया जाता है। वितरण के दिन जब विकेता स्वयं अनुपस्थित थे, तो एक दिन में 72.38 क्वीं0 गेहूँ, 86.71 क्वीं0 चावल एवं 256.75 लीं0 किरासन तेल का वितरण एक व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार कर सकेगा, यह सत्य से परे जान पड़ता है। इतनी बड़ी मात्रा में सामग्रियों का कम पाया जाना, कालाबाजारी को प्रमाणित करता है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2001 एवं संशोधन आदेश 2011 तथा अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन है, जिसके लिए अपीलार्थी पूर्णतया दोषी है। अपीलार्थी अपने को निर्दोष सावित करने में विफल रहे।

अतः इस निदेश के साथ अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तथा अनुज्ञापन पदा0-सह-अनुमंडल पदा0, मधेपुरा द्वारा निर्गत आदेश 168-1/आ0, दिनांक 25-05-2012 को यथावत रखा जाता है।

आदेश की प्रति अपीलार्थी/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को देते हुए एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

ह0/- 21/01/14
स मा ह र्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,
ह0/- 21/01/14
समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0वी0नं0 76 / विधि, दिनांक 22/01/2014

प्रतिलिपि:- अपीलार्थी श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह पे0 श्री देव नाथ सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत परमानन्दपुर थाना-कुमारखंड/ अनुमंडल पदा0, मधेपुरा (अभिलेख सहित)/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/01/14
प्रभारी पदाधिकारी
विधि, मधेपुरा।
22/01/14

निबंधित

(ख) अनुज्ञप्तिधारी जब ... सिद्ध करने का भार उसी पर ... स्टॉक रजिस्टर में ... से पूर्व पूरी कर ...

कोई अनुज्ञप्तिधारी, स्वयं ... स्टाक रजिस्टर में अलग-अलग ... उसके कारबार पूर्ति में किया जाता है।

4 — अनुज्ञप्तिधारी, इस आदेश के या आवश्यक ... तत्समय प्रवृत्ति अन्य किसी विधि के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा।

5 — अनुज्ञप्तिधारी:—ऐसे कोई संव्यवहार नहीं करेगा, जिससे व्यापारिक वस्तुओं का सट्टा कर ऐसी नीति ... उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, ...

(i) किसी व्यापारिक ... कीमत से उच्चतर ... बेचा और न ...

(ii) विक्रयार्थ रखी गई व्यापारिक वस्तु ... विनिर्दिष्ट कीमत पर किसी व्यक्ति को बेचने से इनकार नहीं करेगा।

(iii) ... वस्तुओं ... अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

6 — अनुज्ञप्तिधारी बिहार आवश्यक वस्तु ... तथा ... सरकार द्वारा, समय-समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार ... का ... मूल्य व्यापार कारबार या उसके ...

7 — अनुज्ञप्तिधारी व्यापारिक वस्तु के प्रत्येक ग्राहक को ... का तथा अनुज्ञप्ति संख्या, ग्राहक का नाम पता तथा ... विक्रय मात्रा तथा ... बीजक जारी करेगा। वह उसकी दूसरी प्रति अपने पास रखेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध ... विक्रेता के लिए किसी व्यापारिक वस्तु के सम्बन्ध में ... ऐसा कोई नगद पत्र या बीजक जारी करना ... नहीं होगा जबकि ग्राहक द्वारा उसकी मांग न की जाय।

8 — अनुज्ञप्तिधारी ... सरकार द्वारा दिया जाय।

9 — अनुज्ञप्तिधारी किसी भी दुकान गोदाम या अन्य स्थान पर जिसका उपभोग वह भंडारण विक्रय या ... के लिए ... का निरीक्षण करने के लिये तथा ... में वर्णित व्यापारिक वस्तुओं की परीक्षा हेतु ... समस्त सुविधा देगा।

10 — अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी निदेश का पालन ... के क्रय विक्रय तथा विक्रयार्थ भण्डारण के सम्बन्ध में ... विवरणी स्टोक ... या बीजक लिये जाय ... तथा ... रजिस्टर ...

11 — अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के सम्बन्ध में ... जब कि वह किसी विनिर्दिष्ट बाजार में ... करता हो ... तथा किसी अन्य ... ऐसे निकाय ... इसके निमित्त मान्यता प्रदान की गई हो पालन करेगा।

12 — प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगा कि उसके द्वारा भण्डार में रखी गई व्यापारिक वस्तुएं उचित स्थिति में ... अनुज्ञप्तिधारी ... वस्तुओं ... व्यापारिक वस्तुओं के ... ठीक ...

13 — अनुज्ञप्तिधारी ... व्यापारी को व्यापारिक वस्तुओं का ... उसी मात्रा या वजन तथा ... के अनुसार करेगा ... केन्द्रीय सरकार ... अंकित मात्रा या वजन में घटा दिया जाय।

14 — यह अनुज्ञप्ति नवीकरण के ...

15 — यह अनुज्ञप्ति 31 ...

स्थान—

8. अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं के बिक्री के पश्चात प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमेमो (परिशिष्ट–5 के अनुसार) देगा जिसमें उपभोक्ता का नाम पता लिखकर उसका हस्ताक्षर / निशान लेगा। कैशमेमो का कार्बन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी [illegible] ही मुद्रित रहेगा जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या, पता भी मुद्रित रहेगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात् उसके राशन कार्ड पर आपूर्ति की प्रविष्टि कर राशन कार्ड संबंधित उपभोक्ता को लौटा देगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी [illegible] से [illegible] भी प्राप्त करेगा तथा उसे दुकान [illegible] पर प्रदर्शित करेगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी कारबार से संबंधित [illegible] जिसकी उससे मांग की जाय, सही–सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो [illegible] आयुक्त, [illegible] अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा दिया जाय।

12. अनुज्ञप्तिधारी अपने दुकान [illegible] वस्तुओं पर [illegible] लिये [illegible] समयों पर [illegible] करेगा।

13. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण पुस्तिका और शिकायत / सुझाव [illegible] अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्न की क्वालिटी, मात्रा एवं राशन लेने के दौरान पेश [illegible] के संदर्भ में शिकायतें / सुझाव दर्ज करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर शिकायत / सुझाव पुस्तिका उपलब्ध करायेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी [illegible] योजना 2006 के प्रावधानों का अनुपालन [illegible] करायेगा।

15. अनुज्ञप्तिधारी सभी [illegible] पंजी, पुस्तिका एवं कैशमेमो [illegible] रखेगा।

16. अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं को उचित स्थिति में रखेगा तथा भूमि [illegible], वर्षा, कीट, चूहों, चिड़ियों, आग एवं ऐसे ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाले हानि से बचाने का आवश्यक उपाय करेगा।

17. अनुज्ञप्तिधारी [illegible] द्वारा [illegible] करेगा।

18. अनुज्ञप्तिधारी [illegible] वस्तुओं की आपूर्ति के लिए [illegible] या अन्य उपकरण का [illegible] करवाकर दुकान [illegible]

19. अनुज्ञप्तिधारी मास के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अवशेष स्टॉक का हिसाब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी को निर्देश [illegible] और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को भी देगा।

20. अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण [illegible] बहियों या अभिलेखों को पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो [illegible] पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वार मागी जाय।

21. कोई राशन कार्डधारक जो उचित कीमत की दुकान के स्वामी (अनुज्ञप्तिधारी) के अभिलेख से उद्धरण [illegible] अभिप्राप्त करना चाहता है, अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित फीस रू0 10 (दस) जमा करने एवं लिखित अनुरोध पर, शुल्क प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के अन्दर अनुज्ञप्तिधारी, राशन कार्डधारक को अभिलेख के ऐसे उद्धरण प्रदान करेगा।

22. यह अनुज्ञप्ति ....[illegible].... तक विधिमान्य होगी।

स्थान :– [illegible]

तारीख :– 28/12/07

(अनुज्ञापन पदाधिकारी)

[illegible] पदनाम [illegible]

कि जाँच पदाधिकारी भंडार पंजी में इन्द्राज भंडारण का मिलान भौतिक रूप से नहीं किया गया बल्कि वितरण के समय पूछताछ एवं भंडार पंजी में दर्ज भंडार के आधार पर किया गया, जो नियमानुसार नहीं है। वितरण के समय विक्रेता द्वारा मिनट टू मिनट भंडार का इन्द्राज कर पाना संभव नहीं है। भंडार में भंडारित खाद्यान्न का माप तौल करवाने के पश्चात् ही स्पष्ट अन्तर का पता चल पाता है, जबकि भंडार में सामग्रियाँ भंडारित थी एवं गत माह तक का भंडार अंकित किया हुआ था। वितरण समाप्ति के पश्चात् भंडार पंजी को अद्यतन किया जाता है, जो तत्क्षण करना संभव नहीं था। जाँच पदाधिकारी का यह आरोप मनगढंत है। इसलिए अपीलार्थी के उपर लगाया गया आरोप सही नहीं है। अनुज्ञापन पदा0 द्वारा निर्गत आदेश को रद्द कर अनुज्ञप्ति पुर्नवहाल किया जाय।

विद्व सहायक लोक अभियोजक ने अपीलार्थी के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि अपीलार्थी सक्षम प्राधिकार से अनुपस्थिति के लिए अनुमति नहीं प्राप्त की है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यह भी तर्क दिया गया कि जब उन्हें जाँच की जानकारी मिली तो तत्क्षण आवंटन पंजी, भंडार पंजी, वितरण पंजी, कूपन आदि के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। वितरण अपीलार्थी के पिता कर रहे थे, तो जाँच पदाधिकारी को सभी पंजियाँ दिखाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की गई की बी0पी0एल0 खाद्यान्न 20 किलोग्राम 150/-रू0 में, किरासन तेल 18/-रू0 प्रति लीटर की दर से दिया जाता है, जबकि बी0पी0एल0 लाभुकों को 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने का सरकारी प्रावधान है। जाँच के समय विक्रेता के पिता(अभिकर्त्ता) मौन रहे, जिसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्त्ता एवं उपस्थित उपभोक्ताओं का कथन सत्य है एवं अधिक कीमत लेकर कम मात्रा में सामग्रियों की आपूर्ति किए जाने की पुष्टि होती है। इसलिए अपीलार्थी की मंशा गलत आचरण को इंकित करता है, जिसके लिए वे दोषी हैं। ऐसे गंभीर मामलों के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश बिल्कूल ही विधियत है।

उभय पक्षों की दलील सुनने, निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख, विक्रेता का स्पष्टीकरण आदि का अवलोकन किया गया। विक्रेता के विरुद्ध आरोप सं0-01 के संदर्भ में पूछने पर बताया गया कि वे पूर्व में सक्षम प्राधिकार को अनुपस्थिति के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था, जो स्वच्छंद कार्य बोध, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ-साथ अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन है। आरोप सं0-02 के संदर्भ में विक्रेता स्वयं स्वीकार किए हैं कि दिनांक 30.04.12 को कृषि कार्य पर चले जाने के कारण भंडार-सह-मूल्य प्रदर्शन पट्ट को संधारित नहीं कर सके जिससे लगाए गए आरोप की पुष्टि होती हैं। आरोप सं0-03 के संदर्भ मे अपने बचाव में शिकायत किए गए उपभोक्ता नीरा देवी पति योगेन्द्र राय, जुगली देवी पति जगदीश राय एवं श्री महादेव सिंह पे0 श्री बंगाली सिंह सभी सा0 परमानन्दपुर, थाना श्रीनगर का शपथ पत्र सं0-2065, 2064, 2063 दिनांक 08-05-2012 प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए गए कारण पृच्छा में स्वीकार किया है कि लाभुक उपभोक्ताओं द्वारा मेरे विरुद्ध बयान दिया था। प्रस्तुत शपथ पत्र का परीक्षण करने से स्पष्ट हुआ कि सभी शपथ पत्र एक ही दिन एक ही अधिवक्ताओं के द्वारा तैयार किया हुआ है एवं सभी में एक ही तरह के दृष्यंत अंकित है। प्रथम दृष्टया उक्त शपथ पत्र का स्वरुप एवं अंकित दृष्यंत अपीलार्थी अपने बचाव के लिए वनावटी तैयार करवाया है। निरीक्षण के समय उपस्थित उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत किए जाने पर विक्रेता के पिता का मौन रहना एवं प्रतिकार नहीं किया जाना इस बात को पुष्ट करता है कि विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम एवं अधिक मूल्य लेकर सामग्रियाँ आपूर्ति की जाती है। आरोप सं0-04